न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 323 / 2022

प्रार्थी :– 1. नीरज कुमार पुत्र नवरतनजी जाति ओसवाल, निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. कन्हैयालाल पुत्र बद्रीप्रसादजी जाति अग्रवाल
2. द्वारकादास पुत्र रामेश्वरजी जाति अग्रवाल
3. जवेरीमल पुत्र वंशराज जाति ओसवाल
4. नन्दकिशोर राठी पुत्र भंवरलाल जाति माहेश्वरी
5. प्रहलादराम पुत्र मूलाराम जाति सुथार
6. भंवरलाल पुत्र सिरेमल, जाति ओसवाल
7. राजो पत्नी केसूराम जाति जाट
8. सुनील कुमार पुत्र चान्दमल जाति माहेश्वरी
9. सावित्री पत्नी नन्दलाल जाति पालीवाल निवासी बालोतरा, जिला बाडमेर
10. आयुक्त नगर परिषद बालोतरा जिला बाडमेर ।
11. रेल्वे विभाग, भारत सरकार, जरिये तामिल मण्डल प्रबंधक, उतर पश्चिम रेलवे, जोधपुर।
12. रेलवे विभाग, भारत सरकार, जरिये तामिल सिविल इंजिनियर, उतर पश्चित रेलवे, बालोतरा।
13. परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, जरिये तामिल जिला कलेक्टर बाडमेर।
14. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदारजी पचपदरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

1 . श्री जुंझाराम पटेल , प्रार्थी अधिवक्ता

2 विप्रार्थी संख्या 1 से 14 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :– 26.6.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्र[illegible]तेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 4 रकबा 2.1691 हैक्टर किस्म बा. अव्वल अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा हैं, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 4 रकबा 2.1691 हैक्टर किस्म बा. अव्वल मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 4 रकबा 2 .691 हैक्टर किस्म बा. अव्वल भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 4 रकबा 2.1691 हैक्टर किस्म बा. अव्वल भूमि प्रार्थी की खातेदारी [illegible] है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2080–2082 व नक्शा [illegible] का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है [illegible] रिकॉर्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है [illegible] इसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:42 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है, ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा खेत खसरा संख्या 4 रकबा 2.1691 हैक्टर किस्म बा. अव्वल भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार ~~कल्याणपुर~~ पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगणको पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 26.06.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:29:42 IST
Reason: SelfAttested